उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्,

राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्पलेक्स, पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड़, देहरादून

Email id- ukavpddn@gmail.com **Phone No. 0135-2651033**

पत्रांकः 540/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–29 (2021–22) दिनांकः 29 नवम्बर, 2021।

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के कार्यालय आदेश संख्याः– 501/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–29, दिनांकः 23 अक्टूबर, 2021 एवं आदेश संख्याः 502/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–23/3, दिनांकः 23 अक्टूबर, 2021 के क्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं के आवासीय/अनावासीय भवन/भूखण्ड मानचित्रों के निस्तारण के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. आवेदन पत्रः–
2. मानचित्र स्वीकृति हेतु अभिलेखः– विक्रय–विलेख, कब्जा पत्र आवंटन पत्र व विक्रय उपरान्त की दशा में नामान्तरण आदेश एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा रु. 10/– के स्टाम्प पर शपथपत्र परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
3. मानचित्र स्वीकृति शुल्कः– उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 297/V–2/06(आ0)2016/2018, दिनांकः 10 सितम्बर, 2018 के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।
4. शमन शुल्कः–शमन शुल्क हेतु उत्तराखण्ड शासन के आवास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–40/V–2/2019–83(आ0) 2018 दिनांक–10.01.2019 के प्राविधान लागू किये जायेगें।
5. प्रक्रियाः–

क्र0 सं0	एकल आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 200 वर्ग मी0 मीटर से कम	एकल आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक	गैर एकल आवासीय
1.	उक्त के अन्तर्गत प्राप्त मानचित्रों के दस्तावेजों/अभिलेखों का परीक्षण प्राधिकरण के लिपिक द्वारा किया जायेगा, तथा उसके पश्चात् सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा मानचित्र पत्रावली का परीक्षण स्थल निरीक्षण उपरान्त करते हुए आख्या सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से अपर आवास आयुक्त/सचिव को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।	उक्त के अन्तर्गत प्राप्त मानचित्रों के दस्तावेजों/अभिलेखों का परीक्षण प्राधिकरण के लिपिक द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा मानचित्र पत्रावली का परीक्षण स्थल निरीक्षण उपरान्त करते हुए आख्या उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। मुख्यालय में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से पत्रावली निस्तारण हेतु अपर आवास आयुक्त को प्रेषित की जायेगी ।	अन्य समस्त गैर एकल आवासीय एवं तलपट मानचित्र योजना के अन्तर्गत प्राप्त मानचित्रों के दस्तावेजों/अभिलेखों का परीक्षण प्राधिकरण के लिपिक द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा मानचित्र पत्रावली का परीक्षण स्थल निरीक्षण उपरान्त करते हुए आख्या उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। मुख्यालय में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अपर आवास आयुक्त के माध्यम से पत्रावली निस्तारण हेतु आवास आयुक्त महोदय को प्रेषित की जायेगी ।

6. आपातियों के निस्तारण हेतु अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के स्तर से आवदेक को सूचित किया जायेगा।
7. 200 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल के एकल आवासीय मानचित्रों को सहायक अभियन्ता/अपर आवास आयुक्त (सचिव) स्तर से निर्गत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड/भवनों के मानचित्र अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

8. सम्बन्धित आवेदक द्वारा आपत्ति का निस्तारण सूचना के प्रेषित किये जाने के 30 के दिन के अन्दर किया जाना होगा। आपत्तियों का निस्तारण तय समयावधि के अन्तर्गत न किये जाने की दशा में मानिचित्र निरस्त किया जायेगा।

9. देय शुल्क जमा कराने हेतु आवेदक को मांग पत्र निर्गत किया जायेगा। मांग पत्र की सूचना के 30 दिन के भीतर शुल्क जमा न होने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

10. पत्रावलियों का रख–रखाव हेतु परिषद् के प्राधिकरण स्थित अभिलेखागार में रखा जायेगा।

भवदीय,

ह0/–

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि :

1. आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/उपाध्यक्ष, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा/नैनीताल/उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा/नैनीताल/उधमसिंहनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून।
8. समस्त नामित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अधिष्ठान कर्मी/कार्मिकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त कार्मिक उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

20/4/2021

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
अपर आवास आयुक्त